संख्या-38/2022/135/23-9-2022-01एस0पी0एम0/2021

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष्,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2022

विषय -वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण की मद में चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9856बी.जी./7बी0-श्यामा प्रसाद ग्रा0मा0/2021-22, दिनांक 03-03-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद के कुल 01 चालू कार्य हेतु निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासना देशों द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त 01 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-9 के अनुसार रू0 61,78,000/- (रूपये इकसठ लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या व दि0	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	31.3.21 तक आवंटन / व्यय	01.04.2021 को अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजियाबाद	कुडियागाव से डासना इकला इनायतपुर मार्ग निर्माण का कार्य।	100/2021/आ0-11/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2020,दि0-25.03.2021	0.82	82.23	4.00	78.23	61.78

3- उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

4- उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 1350-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण, 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

<u>संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 / वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- समस्त संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, को सूचित करने का कष्ट करें।
6- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 / वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in